

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : राआम/मुसप्र/2020/236

दिनांक : 07/7/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सी.आर.पी.एफ को आवंटित करने के लिए फ्लेट आरक्षित किये गये थे। सी.आर.पी.एफ द्वारा अब फ्लेट लेने से मना कर दिया गया है। मण्डल की निम्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों को सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता/उप आवासन आयुक्त की अनुषंशा के आधार पर 0-25 प्रतिशत स्लेब में छूट प्रदान करते हुए ई-बिड सबमिशन (बुधवार नीलामी उत्सव) के तहत किराया क्रय पद्धति के माध्यम से 13 वर्ष की 156 मासिक किश्तों में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना/शहर का नाम	आय वर्ग	आवासों की संख्या	0-25 प्रतिशत	0-50 प्रतिशत
जयपुर, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर					
1.	प्रताप अपार्टमेंट सेक्टर-29, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर	HIG-I (S+10)	HB-101, HB-102, HB-104, HB-105, HB-201, HB-205, HB-302, HB-305, HB-401, HB-402, HB-405, HB-501, HB-601, HB-604, HB-605, HB-705, HB-801, HB-802, HB-804, HB-805, HB-901, HB-902, HB-904, HB-1001, HB-1004, HB-1005, HD-101, HD-102, HD-104, HD-105, HD-201, HD-202, HD-204, HD-205, HD-301, HD-302, HD-304, HD-401, HD-402, HD-404, HD-405, HD-501, HD-504, HD-505, HD-601, HD-604, HD-705, HD-801, HD-802, HD-804, HD-805, HD-901, HD-902, HD-904, HD-905, HD-1001, HD-1002, HD-1004	58	-
		HIG-II (S+10)	HB-103, HB-603, HB-903, HB-1003 HD-103, HD-203, HD-303, HD-503, HD-703, HD-803, HD-903, HD-1003	12	-
2.	चिनाब अपार्टमेंट सेक्टर-28, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर	MIG-A (G+3),	C/4/2, C/4/6, C/4/9, C/4/14, C/4/15, C/5/1, C/5/3, C/6/4, C/6/9, C/6/10, C/6/12, C/7/2, C/7/3, C/7/5, C/7/11, C/7/12, C/7/15, C/8/2, C/8/7, C/8/9, C/8/11, C/8/14, C/11/5, C/11/8, C/11/14, C/11/15, D/6/6, D/6/7, D/6/8, D/6/13, D/7/3, D/7/5, D/7/6, D/7/8, D/7/11, D/7/13, D/7/15, D/7/16, D/8/5, D/8/8, D/8/9, D/8/11, D/8/13, D/9/4, D/9/5, D/9/8, D/9/9, D/9/10, D/9/12, D/9/13, D/9/15, D/9/16, D/10/2, D/10/10, D/10/12, D/10/15, D/11/2, D/11/4, D/11/5, D/11/6, D/11/7, D/11/8, D/11/9, D/11/12, D/11/13, D/12/1, D/12/2, D/12/3, D/12/4, D/12/5, D/12/6, D/12/7, D/12/8, D/12/9, D/12/11, D/12/12, D/12/13, D/12/15, D/12/16, D/13/1, D/13/2, D/13/3, D/13/4, D/13/7, D/13/8, D/13/10, D/13/11, D/13/13, D/13/14, D/13/15, D/13/16, D/14/2, D/14/4, D/14/5, D/14/6, D/14/7, D/14/8, D/14/9, D/14/10, D/14/11, D/14/12, D/14/13, D/14/14, D/14/15, D/14/16	115	-

जयपुर, वृत्त-द्वितीय, मानसरोवर, जयपुर							
3.	द्वारका अपार्टमेन्ट, ब्लॉक-एच, द्वारका पथ, मानसरोवर, जयपुर	MIG-B (S+9)	DWA/H/101, DWA/H/104, DWA/H/203, DWA/H/302, DWA/H/401, DWA/H/404, DWA/H/503, DWA/H/602, DWA/H/701, DWA/H/704, DWA/H/803, DWA/H/902,	DWA/H/102, DWA/H/201, DWA/H/204, DWA/H/303, DWA/H/402, DWA/H/501, DWA/H/504, DWA/H/603, DWA/H/702, DWA/H/801, DWA/H/804, DWA/H/903,	DWA/H/103, DWA/H/202, DWA/H/301, DWA/H/304, DWA/H/403, DWA/H/502, DWA/H/601, DWA/H/604, DWA/H/703, DWA/H/802, DWA/H/901, DWA/H/904	36	-
			कुल योग		211	0	

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त सम्पत्तियों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 प्रतिशत स्लेब में रखते हुए ई-सबमिशन (बुधवार नीलामी उत्सव) के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक मुसा/2020/29 दिनांक 27-05-2020 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


(पवन जोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय एवं मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय, तृतीय जयपुर/जोधपुर।
4. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय जयपुर एवं वृत्त प्रथम, द्वितीय जोधपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-अलवर/कोटा, बीकानेर, उदयपुर रा0आ0म0।
8. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड- (सम्बंधित)
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. प्रभारी मार्केटिंग सेल राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक